



41

9

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म०प० ग्वालियर

पुकरण क्रमांक-  
R-1348-II/2010

/2010 निगरानी

महावीर पुत्र रामनारायण जाति- मीणा  
निवासी- ग्राम रन्नोद परगना व जिला  
शयोपुर ॥ म०प०॥

पो. के. वि. ए. वी. इ. म. म. ०  
दिनांक 23/9/10  
राजस्व मण्डल म०प० ग्वालियर

पार्थी

बनाम

म०प० शासन द्वारा

कलेक्टर शयोपुर ॥ म०प०॥

प्रतिपार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 झूठे साक्ष्य विरुद्ध  
आदेश दिनांक-18-06-2010 पारित द्वारा अपर-  
आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना पुकरण क्रमांक-  
108/2009-2010 अपील जिसके द्वारा पार्थी की अपील  
ग्राह्यता के आधार पर कलेक्टर शयोपुर के पुकरण क्रमांक-  
59/2006-2007 बी-121 मे पारित आदेश दिनांक-  
11-02-2010 के विरुद्ध अपील निरस्त की गयी।

Handwritten signature and date: 23/9/10

Handwritten signature and date: 23.9.10

पार्थी की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

- 1- यहकि, पुकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि, तहसील-  
दार महोदय द्वारा पुकरण क्रमांक-58/88-89 आर-46  
मे पारित आदेश दिनांक-07-08-89 के द्वारा पार्थी  
के पिता के पक्ष मे नामात्रण आदेश पारित किया गया।

Handwritten mark or signature at the bottom left.

R-1348-II/10 लखनऊ.

14.7.17

आवेदन अति. शी. ए. के. 0

सिधुल अनुं | आवेदन अति. शी. ए. के. 0  
19.10.16 के बाद उप. नही हो रहे हैं।  
उक्त प्रकार वर्ष 2010 को 7 वर्ष पुराना  
है इनचि न लेने के बाद एवं अनुपस्थिति  
का स्थिति में उक्त प्रकार समाप्त किया  
जाता है आज में तीन.तीन का आवाज लक्ष्मी  
गर्। को 3/50 नंबर प्रकार समाप्त होना किं. दो. किं.

